

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर बेंच

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 20250/2023

1. सौरव पुत्र अशोक कुमार, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम खंगा का बास, पोस्ट डेरवाला, जिला झुंझुनू, राजस्थान।
2. दिनेश कुमार जाखड़ पुत्र हवा सिंह जाखड़, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी ग्राम रायनगर, तहसील नीमा का थाना, सीकर, राजस्थान।
3. सुनील कुमार पुत्र सत्यवीर सिंह, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी वीपीओ नालपुर, तहसील खेतड़ी, जिला झुंझुनू, राजस्थान।
4. संदीप जाखड़ पुत्र हवा सिंह, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी ग्राम रायनगर, तहसील नीमा का थाना, सीकर, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने गृह सचिव, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय जयपुर के माध्यम से।
3. महानिदेशक पुलिस (भर्ती), पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड, राजस्थान, जयपुर।
5. पुलिस अधीक्षक, कोटा ग्रामीण
6. पुलिस अधीक्षक, सिरोही।
7. पुलिस अधीक्षक (प्रथम), पुलिस दूरसंचार, राजस्थान, जयपुर।

8. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, सचिव के माध्यम से, कृषि प्रबंधन संस्थान भवन, दुर्गापुरा, जयपुर, राजस्थान।

9. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, इसके अध्यक्ष के माध्यम से, कृषि प्रबंधन संस्थान भवन, दुर्गापुरा, जयपुर, राजस्थान।

----उत्तरदाता

जुड़े हुए

1. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 39/2024
2. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 20605/2023
3. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 20606/2023
4. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 20608/2023
5. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 20615/2023
6. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 20616/2023
7. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 20618/2023
8. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 20619/2023
9. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 20621/2023
10. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 20622/2023
11. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 20623/2023
12. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 20624/2023
13. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 20637/2023
14. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 20639/2023
15. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 20640/2023
16. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 20641/2023
17. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 20647/2023
18. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 20754/2023
19. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 20765/2023
20. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 20781/2023
21. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 20789/2023
22. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 31/2024
23. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 37/2024
24. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 55/2024

25. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 58/2024
26. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 59/2024
27. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 67/2024
28. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 70/2024
29. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 71/2024
30. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 72/2024
31. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 73/2024
32. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 80/2024
33. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 86/2024
34. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 87/2024
35. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 90/2024
36. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 91/2024
37. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 92/2024
38. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 94/2024
39. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 95/2024
40. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 101/2024
41. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 105/2024
42. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 106/2024
43. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 107/2024
44. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 111/2024
45. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 116/2024
46. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 118/2024
47. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 124/2024
48. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 125/2024
49. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 127/2024
50. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 131/2024
51. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 132/2024
52. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 134/2024
53. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 144/2024
54. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 154/2024
55. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 156/2024
56. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 159/2024

57. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 160/2024
58. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 169/2024
59. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 172/2024
60. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 201/2024
61. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 202/2024
62. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 206/2024
63. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 207/2024
64. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 212/2024
65. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 229/2024
66. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 230/2024
67. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 243/2024
68. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 247/2024
69. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 318/2024
70. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 319/2024
71. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 320/2024
72. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 334/2024
73. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 369/2024
74. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 384/2024
75. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 397/2024
76. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 416/2024
77. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 424/2024
78. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 427/2024
79. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 431/2024
80. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 433/2024
81. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 435/2024
82. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 444/2024
83. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 445/2024
84. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 450/2024
85. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 452/2024
86. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 453/2024
87. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 454/2024
88. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 458/2024

89. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 461/2024
90. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 463/2024
91. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 468/2024
92. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 474/2024
93. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 501/2024
94. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 508/2024
95. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 509/2024
96. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 535/2024
97. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 557/2024
98. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 631/2024
99. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 633/2024
100. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 637/2024
101. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 654/2024
102. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 673/2024
103. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 679/2024
104. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 702/2024
105. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 847/2024
106. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 853/2024
107. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 967/2024
108. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1079/2024
109. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1154/2024
110. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1290/2024
111. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1433/2024
112. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1588/2024
113. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1633/2024
114. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1664/2024
115. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1854/2024
116. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1887/2024
117. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1899/2024
118. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2815/2024

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री रघुनंदन शर्मा

श्री अभिनव श्रीवास्तव
श्री आनंद शर्मा
श्री निखिल कुमावत
श्री कृतिका राजावत
श्री अरविंद कुमार शर्मा
श्री राम प्रताप सैनी
श्री आमिर खान
श्री अक्षित गुप्ता
सुश्री प्रज्ञा सेठ
श्री मोविल जीनवाल
श्री गुंजन शर्मा
श्री गिराज राजोरिया
श्री कपिल कुमार खंडेलवाल
श्री सुखदेव सिंह सोलंकी
श्री शैलेन्द्र कुमार
श्री राम रतन गुर्जर
श्री सुनील कुमार सिंगोदिया

उत्तरदाताओं के लिए : श्री राजेंद्र प्रसाद, एजी,
सुश्री हर्षिता ठकराल,
श्री बीएस छाबा, एएजी,
श्री अविनाश चौधरी,
श्री राहुल गुप्ता

माननीय श्री. न्यायमूर्ति समीर जैन
निर्णय

समाचार-योग्य

आरक्षित तिथि:: 26/11/2024

उच्चारण :: 12/12/2024

1. रिट याचिकाओं के वर्तमान बैच में, विवाद का दायरा, हालांकि यहीं तक सीमित नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर और मुख्य रूप से कांस्टेबल के पद के लिए चयन प्रक्रिया में शुद्धता और पारदर्शिता के संबंध में उठाई गई चुनौती द्वारा परिभाषित किया गया है (03.08.2023 के विज्ञापन के अनुसरण में) जिसके तहत प्रतिवादियों ने प्रत्येक जिले के लिए पंद्रह गुना उम्मीदवारों को नहीं बुलाया है। परिणामस्वरूप, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि रिट याचिकाएं कानून और तथ्य के सामान्य प्रश्नों पर निर्णय की मांग करती हैं; सभी पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील की सहमति से, **एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 20250/2023** जिसका शीर्षक **सौरव और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य** है, को मुख्य याचिका के रूप में लिया जाता है। यह सावधानीपूर्वक स्पष्ट किया जाता है कि रिट याचिकाओं के वर्तमान बैच में कोई भी विसंगतियां पूरी तरह से उनमें निहित तथ्यात्मक आख्यानों से संबंधित हैं तत्काल निर्णय यथावश्यक परिवर्तनों के आधार पर इससे संबंधित सभी याचिकाओं पर लागू होगा।
2. मुख्य याचिका **सौरव एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य** निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ दायर की गई है:

“ii) इसके द्वारा उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश द्वारा, पीईटी/पीएसटी के लिए आरोपित अनुसूची को कृपया रद्द किया जाए और अलग रखा जाए और इसके द्वारा प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाए कि वे कांस्टेबल के पद के लिए पीईटी/पीएसटी टेस्ट के लिए 15 गुना उम्मीदवारों को पास करने के बाद कांस्टेबल के पद के लिए पीईटी/पीएसटी के लिए नया कार्यक्रम जारी करें, जैसा कि 03.08.2023 के विज्ञापन की शर्त संख्या 10 के साथ-साथ कांस्टेबल के पद के लिए स्थायी आदेश के अनुसार है।

iii) इसके द्वारा उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश द्वारा, प्रतिवादियों को राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 17 के अनुसार

कांस्टेबल के पद के लिए भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए निर्देशित किया जा सकता है।

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

3. इस विवाद का सार यह है कि प्रतिवादियों ने दिनांक 03.08.2023 को एक विज्ञापन जारी कर राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989, यथा संशोधित (जिसे आगे नियम 1989 कहा जाएगा) के प्रावधानों के अंतर्गत कांस्टेबल पद के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए थे। उक्त विज्ञापन में राजस्थान राज्य के लिए कांस्टेबल के 3578 पदों के लिए भर्ती की स्पष्ट जानकारी दी गई थी। उक्त विज्ञापन में परीक्षा योजना के साथ-साथ अन्य प्रासंगिक जानकारी, जैसे न्यूनतम पात्रता मानदंड अर्थात् सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी), क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर आरक्षण, परीक्षा का तरीका और संबंधित तिथियां और कार्यक्रम निर्दिष्ट किए गए थे।

4. तत्पश्चात, पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर ने दिनांक 27.07.2023 को एक स्थायी आदेश जारी किया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि कांस्टेबल पद हेतु आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को उनके द्वारा प्राप्त अंकों की योग्यता और प्रथम चरण (पीईटी/पीएसटी) के लिए प्रकाशित श्रेणीवार रिक्तियों के पंद्रह गुना अंकों के आधार पर आमंत्रित किया जाएगा। यह भी स्पष्ट किया गया कि केवल पीईटी परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही पीएसटी परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी।

याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत तर्क

5. इस पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं ने सीईटी परीक्षा, 2022 उत्तीर्ण करने के बाद दिनांक 03.08.2023 के विज्ञापन के अनुसार कांस्टेबल के पद के लिए आवेदन किया था। यह भी तर्क दिया गया कि विज्ञापन

और उसके शुद्धिपत्र के अनुसार, कांस्टेबल के 3578 पद विज्ञापित किए गए थे, इसके अलावा, उक्त विज्ञापन की शर्त 10 के अनुसार, उक्त पदों को रिक्तियों की संख्या के अनुसार जिलावार/पदवार/श्रेणीवार/लिंगवार विभाजित किया गया था। साथ ही, उक्त विज्ञापन में यह भी स्पष्ट किया गया था कि पीईटी/पीएसटी परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र केवल वरीयता/योग्यता सूची में पंद्रह गुना कम उम्मीदवारों को ही जारी किए जाएंगे।

6. विवाद तब उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादियों ने कुल रिक्तियों की संख्या के पंद्रह गुना से भी कम अभ्यर्थियों को पीईटी/पीएसटी परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र जारी किए। उदाहरण के लिए, यह ध्यान देने योग्य है कि कोटा (ग्रामीण) जिले के लिए 136 पद विज्ञापित किए गए थे और उक्त रिक्तियों की संख्या के पंद्रह गुना यानी 2040, फिर भी प्रतिवादियों ने केवल 1723 अभ्यर्थियों को ही प्रवेश पत्र जारी किए। इसी प्रकार, पुलिस दूरसंचार के 417 पदों के लिए, प्रतिवादियों ने पंद्रह गुना यानी 6255 अभ्यर्थियों के विरुद्ध केवल 5319 अभ्यर्थियों को ही बुलाया। इसी प्रकार, सिरौही जिले के लिए, पंद्रह गुना यानी 2010 अभ्यर्थियों के विरुद्ध 134 पदों के लिए केवल 1729 अभ्यर्थियों को ही प्रवेश पत्र जारी किए गए।

7. यह ध्यान देने योग्य है कि प्रतिवादियों ने निर्धारित संख्या से कम अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किए थे और प्रतिवादियों के उक्त कृत्य से याचिकाकर्ताओं के अधिकारों और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन हुआ है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि प्रतिवादियों की उक्त कार्रवाई शुरू से ही अमान्य, अवैध और विज्ञापन तथा दिनांक 27.07.2023 के स्थायी आदेश के प्रावधानों के विपरीत है। इसके अलावा, उक्त भर्ती प्रक्रिया अपारदर्शी और पक्षपातपूर्ण तरीके से शुरू की गई थी।

8. अब तक दिए गए तर्कों के समर्थन में, विद्वान वकील ने 1989 के नियम - नियम 21 और 2 (ए), भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 और राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवा (सामान्य पात्रता परीक्षा) नियम, 2022 (इसके बाद, 2022 के नियम के रूप में संदर्भित) के नियम 6 के प्रावधानों पर भरोसा किया था।

9. क्रमिक रूप से, विद्वान वकील ने **सपना जायसवाल बनाम राजस्थान राज्य** में पारित दिनांक 09.02.2024 के आदेश पर भरोसा किया था, जो **एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 2126/2024** के रूप में पंजीकृत है, और प्रस्तुत किया कि उसमें तैयार की गई राय पर विचार करते हुए; विज्ञापन दिनांक 03.08.2024 के प्रावधानों और दिनांक 27.07.2023 के स्थायी आदेश, प्रतिवादियों द्वारा निर्धारित रिक्तियों से पंद्रह गुना से अधिक उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र जारी नहीं करने की कार्रवाई विकृत है।

प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियाँ

10. इसके विपरीत, प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान महाधिवक्ता ने याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत तर्कों का कड़ा विरोध किया था और याचिकाओं के वर्तमान बैच में पक्षों के गलत संयोजन सहित कई तर्क दिए थे।

11. विद्वान महाधिवक्ता ने न्यायालय को इस तथ्य से अवगत कराया कि इन याचिकाओं में, बिना क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के, राजस्थान राज्य के सभी स्थानों से याचिकाकर्ता शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं ने अलग-अलग वाद-कारण बताए बिना, विभिन्न जिलों के उदाहरण देते हुए, ये याचिकाएँ दायर की हैं, जिनके गुण-दोष के आधार पर स्पष्ट उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

12. लगातार, विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 03.08.2023 के विज्ञापन की शर्तों, विशेष रूप से शर्त संख्या 3(1) और 10, पर भरोसा जताया। ये शर्तें चयन/भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता और

मानक प्रक्रिया से संबंधित हैं। इसके अलावा, 1989 के नियमों के नियम 23 ए के प्रावधानों पर भरोसा करते हुए, यह तर्क दिया गया कि कांस्टेबल के उक्त पद के लिए भर्ती जिला/इकाई आधार पर की गई थी, इसके अलावा, उक्त भर्ती के लिए न्यूनतम अपेक्षित शर्त बताई गई सीईटी परीक्षा भी राज्य स्तर पर आयोजित की गई थी। सुविधा के लिए, 1989 के नियमों से संबंधित नियम नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“23 ए. कांस्टेबल के पद पर भर्ती:-

(1) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, कांस्टेबल के पद पर चयन के लिए कोई साक्षात्कार नहीं होगा और कांस्टेबल के पद पर चयन पुलिस महानिदेशक द्वारा निर्दिष्ट परीक्षा योजना और प्रक्रिया के अनुसार निम्नलिखित बोर्ड द्वारा किया जाएगा:-

(क) "पुलिस रेंज के महानिरीक्षक"/संबंधित इकाई में समकक्ष रैंक के अधिकारी -अध्यक्ष

(ख) संबंधित जिले/इकाई के पुलिस अधीक्षक/कमांडेंट -सदस्य

(ग) पुलिस महानिदेशक द्वारा नामित पुलिस अधीक्षक/कमांडेंट स्तर का एक अधिकारी। -सदस्य

स्पष्टीकरण- पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कांस्टेबल के पद के लिए अभ्यर्थियों के चयन के प्रयोजनार्थ एक से अधिक बोर्ड का गठन कर सकेंगे।

(2) जहां महानिदेशक राज्य स्तरीय लिखित परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लेता है, वहां ऐसी परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को उस भर्ती इकाई का उल्लेख करना होगा जिसके लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है और अभ्यर्थी के ऐसे आवेदन पर केवल आवेदित भर्ती इकाई के लिए ही भर्ती हेतु विचार किया जाएगा।

(3) कांस्टेबल के पद पर भर्ती जिला/भर्ती इकाई के आधार पर होगी, भले ही राज्य स्तर पर एक सामान्य लिखित परीक्षा आयोजित की जा रही हो।

13. इसके अलावा, विद्वान वकील ने न्यायालय को इस तथ्य से अवगत कराया कि दिनांक 10.10.2022 के स्थायी आदेश के अनुसार, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सीईटी परीक्षा आयोजित करने के लिए विज्ञापन संख्या 10/2022 जारी किया था और यह दिनांक 03.08.2023 के विज्ञापन के तहत जारी रिक्तियों के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड था। इसके अतिरिक्त, नियम 2022 के नियम 6 पर भरोसा करते हुए यह तर्क दिया गया कि उक्त परीक्षा के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित करने का एकमात्र प्राधिकारी परीक्षा संचालन प्राधिकारी है। यह ध्यान देने योग्य है कि परीक्षा संचालन प्राधिकारी ने अपने विवेक और उम्मीदवारों की प्रासंगिक जानकारी के अनुसार; उक्त चयन प्रक्रिया के संबंध में पात्रता मानदंड और अनुसूची II के अनुसार, प्रतिवादियों ने उक्त निर्णय लिए हैं।

14. इसके अलावा, यदि क्षणिक रूप से यह मान लिया जाए कि प्रतिवादियों ने उक्त पदों/रिक्तियों के ठीक पंद्रह गुना अभ्यर्थियों को नहीं बुलाया है, तो भी प्रतिवादियों ने आरक्षण नीति का विधिवत पालन किया है। फिर भी, उक्त विज्ञापन की शर्त संख्या 3 और 10 के अनुसार, यह स्पष्ट किया गया था कि रिक्तियों की संख्या के अनुपात में पंद्रह गुना अभ्यर्थियों की गणना जिला/इकाई/श्रेणी/संबंधित लिंग के दिए गए मानदंडों के अनुसार, योग्यता के आधार पर की जानी है और इसमें कोई विचलन नहीं किया जा सकता। इसके बाद, वर्ष 2023 के लिए कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया में विभिन्न श्रेणियों और आरक्षणों को ध्यान में रखते हुए उचित प्रक्रिया का पालन किया गया।

15. यह भी तर्क दिया गया कि दिनांक 03.08.2024 के विज्ञापन के अनुसार, सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और टीएसपी/गैर-टीएसपी क्षेत्रों के अंतर्गत सीईटी परीक्षा के लिए सामान्यीकरण के बाद न्यूनतम अंक अलग-अलग निर्धारित किए गए थे, अर्थात्

सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 120 अंक (40%), अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए 108 (36%) और टीएसपी क्षेत्र के लिए 90 अंक (30%)। उक्त श्रेणियों के संबंध में, पंद्रह गुना उम्मीदवारों को बुलाया गया था, हालाँकि, असाधारण परिस्थितियों में उक्त शर्त का कड़ाई से पालन नहीं किया गया और पात्र उम्मीदवारों की अधिकतम संख्या के आधार पर प्रवेश पत्र जारी किए गए। उक्त असाधारण परिस्थितियों का विवरण नीचे दिया गया है:

15.1 यदि अभ्यर्थी ने पात्रता के लिए न्यूनतम अपेक्षित अंक से कम अंक प्राप्त किए हैं।

15.2 प्रत्येक जिले में रिक्तियों की संख्या अलग-अलग है तथा यह एक समान नहीं है।

15.3 कई जिलों में अपेक्षा से कम आवेदन प्राप्त हुए।

16. परिणामस्वरूप, 1989 के नियम 6 के अनुसार आदेश का पालन करते हुए, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी स्थिति/परिस्थिति में न्यूनतम अंकों में छूट नहीं दी जा सकती, जब तक कि कुछ आरक्षण नीति लागू न हो।

17. अब तक प्रस्तुत तर्कों के समर्थन में, विद्वान महाधिवक्ता ने न्यायालय को प्रतिवादियों द्वारा जारी किए गए और उन पर भरोसा किए गए आंकड़ों से अवगत कराया था।

"कॉन्स्टेबल भर्ती-2023 में विज्ञापित पदों के विरुद्ध 15 गुणा अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता / मापतौल परीक्षा हेतु आमंत्रित नहीं किये जाने के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में दायर विभिन्न रिट याचिकाओं में दिनांक 27.05.2024 को सुनवाई के दौरान चाही गई सूचना निम्नानुसार प्रेषित है:-

सीईटी (नियम-6) के आधार पर योग्य अभ्यर्थियों के लिए विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांकों के अनुसार उपलब्ध कुल अभ्यर्थी एवं कुल पद:-

एन.टी.एस.पी.

क्रम संख्या	वर्ग	अंक	उम्मीदवारों की संख्या	पदों की संख्या
1	जनरल-ई.डब्ल्यू.एस	120 (40 %)	49105	261
2	ओ.बी.सी-नॉन क्रीमी	120 (40 %)	230704	611
3	सामान्य	120 (40 %)	25097	986
4	एम.बी.सी-नॉन क्रीमी	120 (40 %)	29931	123
5	अनुसूचित जाति।	120 (36 %)	100368	471
6	अनुसूचित जनजाति।	120 (36 %)	69831	320
कुल			505036	2772

नोट-विज्ञापित पद 2772 के विरुद्ध 505036 अभ्यर्थी मौजूद हैं, जो 15 गुणा अभ्यर्थियों के स्थान पर 182 गुणा अभ्यर्थी उपलब्ध हैं।

टी एस पी				
क्रम संख्या	वर्ग	अंक	उम्मीदवारों की संख्या	पदों की संख्या
1	सामान्य	90 (30 %)	77454	118
2	अनुसूचित जाति।	90 (30 %)	3682	17
3	अनुसूचित जनजाति।	90 (30 %)	1635	97
कुल			82771	232

नोट-विज्ञापित पद 232 के विरुद्ध 82771 अभ्यर्थी मौजूद हैं, जो 15 गुणा अभ्यर्थियों के स्थान पर 356 गुणा अभ्यर्थी उपलब्ध हैं।

एन टी एस पी एक्समैन

क्रम संख्या	वर्ग	अंक	उम्मीदवारों की संख्या	पदों की संख्या
1	जनरल -ई.डब्ल्यू.एस	105(35%)	94	33
2	ओ.बी.सी-नॉन क्रीमी	105(35%)	1477	78
3	सामान्य	105(35%)	526	248
4	एम.बी.सी-नॉन क्रीमी	105(35%)	189	9
5	अनुसूचित जाति।	93(31%)	55	60
6	अनुसूचित जनजाति।	93(35%)	49	40
कुल			2390	468

टी.एस.पी. एक्समैन				
क्रम संख्या	वर्ग	अंक	उम्मीदवारों की संख्या	पदों की संख्या
4	सामान्य	75 (25 %)	3	54
5	अनुसूचित जाति।	75 (25 %)	0	4
6	अनुसूचित जनजाति।	75 (25 %)	1	48
कुल			4	106

नोट-सीईटी में मात्र 2946 भूंपू० सैनिक सम्मिलित हुये जिनमें से 1289 ने ही पुलिस कॉन्स्टेबल हेतु आवेदन किया है. जिसके कारण 7653 भूंपू० सैनिक अभ्यर्थी कम उपलब्ध हुये है।

वर्गवार न्यूनतम निर्धारित सीईटी प्राप्तांक के आधार पर विज्ञापित कुल 3578 पदों के विरुद्ध 15 गुणा अभ्यर्थी 53670 की तुलना में 587807 (164 गुणा) अभ्यर्थी आवेदन करने हेतु उपलब्ध

थे। अतः वर्गवार निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक में अतिरिक्त शिथिलन दिये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

18. तत्पश्चात, विद्वान महाधिवक्ता ने **चत्तर सिंह एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य (1996) 11 एससीसी 742** में प्रतिपादित अनुपात पर भरोसा जताया था, जिसमें समान तथ्यात्मक विवरण के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह राय दी थी कि ऐसे मामलों में यह देखा जाएगा कि नियम 13, नियम 7 और अनुसूची III के साथ पढ़ा जाए, तो मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवारों को बुलाने हेतु न्यूनतम अंकों की कोई सीमा निर्धारित नहीं करता है, इसलिए परीक्षा संचालन प्राधिकारी द्वारा इसकी जाँच की जाएगी और उसे जारी किया जाएगा। इसके अलावा, **धर्मवीर ठोलिया एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य (2000(3) डब्ल्यू.एल.सी 399)** में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया गया।

19. यह भी प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ताओं ने एक सीमित प्रार्थना के साथ इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और नियमों और परिपत्र को चुनौती नहीं दी है, जैसा कि लागू है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता अंतिम उम्मीदवार की तुलना में अधिक अंक हासिल करने में विफल रहे हैं, जिसे प्रक्रिया के अनुसार बुलाया गया था, अर्थात् आवश्यक कट-ऑफ। पुलिस महानिरीक्षक (भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड) ने 25.01.2024 के पत्र के माध्यम से सूचित किया था कि कुछ जिलों/इकाइयों में आवेदनों की कमी के कारण, विज्ञापित पद के पंद्रह गुना के बराबर उम्मीदवारों को पीईटी/पीएसटी परीक्षा के लिए नहीं बुलाया जा सका। इसके साथ ही, याचिकाकर्ता क्रमांक 1 से 7 और 11 से 13 (एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 39/2024 में) की संबंधित श्रेणियों में विज्ञापित पदों के पंद्रह गुना के बराबर उम्मीदवारों को पीएसटी/पीईटी के लिए बुलाया गया था। फिर भी, याचिकाकर्ता पीएसटी/पीईटी के लिए बुलाए जाने के लिए आवश्यक कट-ऑफ हासिल नहीं कर सके उक्त विज्ञापन में विज्ञापित रिक्तियों की संख्या 3578 थी और आज तक

कोई भी पद रिक्त नहीं रखा गया है, इसलिए किसी भी याचिका के परिणामस्वरूप, केवल कुछ व्यक्तियों के कारण, जो मेरिट में नहीं हैं और जिन्होंने कट-ऑफ अंक से कम अंक प्राप्त किए हैं, पूरी प्रक्रिया प्रभावित नहीं हो सकती। अंत में, यह तर्क दिया गया कि दिनांक 21.12.2023 का आदेश एक पक्षीय आदेश था, इसलिए इसे निरस्त/खारिज किया जाना चाहिए।

20. अन्य पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं ने भी विद्वान महाधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों का समर्थन किया है तथा याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए कथनों का पुरजोर विरोध किया है।

चर्चा और निष्कर्ष

21. अभिलेखों का गहनता से अवलोकन करने, मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने, बार में उद्धृत निर्णयों पर विचार करने तथा पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय इस समय निम्नलिखित असंदिग्ध तथ्यों को नोट करना उचित समझता है:-

21.1 दिनांक 10.10.2022 के विज्ञापन (अनुलग्नक-2) के माध्यम से, सीईटी परीक्षा 2022 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे।

21.2 दिनांक 03.08.2023 के विज्ञापन के माध्यम से प्रतिवादियों ने राजस्थान के सम्पूर्ण क्षेत्र में कांस्टेबल के पद (3578 रिक्तियों) के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए थे।

21.3 यह कि उक्त विज्ञापन में न्यूनतम अपेक्षित योग्यताएं, शैक्षिक एवं अन्य अनिवार्य योग्यताएं, प्रत्येक जिले में सीटों के वितरण/आबंटन से संबंधित प्रावधान और आरक्षण नीति सहित प्रासंगिक जानकारी स्पष्ट रूप से दी गई है।

21.4 कि उक्त रिक्ति हेतु सीईटी (वरिष्ठ माध्यमिक स्तर)-2022 परीक्षा के अंतर्गत सामान्यीकरण के पश्चात सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 120 अंक, एससी/एसटी वर्ग के लिए 108 अंक तथा टीएसपी (ट्राईबल सब प्लान एरिया) के लिए 90 अंक न्यूनतम अंक निर्धारित किए गए थे।

22. अतः, उपर्युक्त पर विचार करते हुए, दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा उठाए गए कथनों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय निम्नलिखित कारणों से याचिकाओं के वर्तमान समूह को खारिज करना उचित समझता है:

22.1 पीईटी और पीएसटी यानी दक्षता और मानक शारीरिक परीक्षण के लिए दिनांक 03.08.2023 के विज्ञापन की शर्त संख्या 3 (1) और 10 के अनुसार, पंद्रह गुना (कुल सीटों की संख्या के) उम्मीदवारों के लिए मेरिट और पात्रता सूची श्रेणीवार, पदवार और लिंगवार तैयार की जानी थी। उपर्युक्त शर्त के एक मात्र अवलोकन से यह ध्यान दिया जा सकता है कि पीईटी और पीएसटी के लिए पंद्रह गुना उम्मीदवारों (कुल सीटों की संख्या के) को बुलाने के लिए, मेरिट चरण एक से श्रेणीवार तैयार की जानी थी, न कि संपूर्ण रिक्तियों यानी 3578 के आधार पर। संक्षिप्तता के लिए, उक्त शर्त से संबंधित शर्तें नीचे पुनःप्रस्तुत की गई हैं:

"3. शारीरिक दक्षता एवं मापतौल परीक्षा:-

1. समान पात्रता परीक्षा (सीनियर सैकण्डरी लेवल)-2022 के आवेदकों में से संबंधित जिला/यूनिट की पदवार/वर्गवार/महिला/ पुरुष की विज्ञापित रिक्तियों के अनुसार वरियता /मैरिट क्रम में 15 गुणा अभ्यर्थियों को ही

शारीरिक दक्षता (दौड़) एवं मापतौल परीक्षा के लिए ऑनलाईन प्रवेश-पत्र जारी किए जाएंगे। डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा।

10. शारीरिक दक्षता परीक्षा (शारीरिक दक्षता परीक्षण):-

(ii) आवेदकों में जिला/यूनिट से संबंधित की पदवार/वर्गवार/महिला/पुरुष की विज्ञापित रिक्तियों के अनुसार वरियता/मैरिट क्रम में 15 गुणा अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता (दौड़) एवं मापतौल परीक्षा के लिए ऑनलाईन प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक मापतौल परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा। अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व राजकीय चिकित्सक से शारीरिक दक्षता परीक्षा (दौड़) में भाग लेने हेतु शारीरिक रूप से योग्य होने का प्रमाण-पत्र सम्बन्धित केन्द्र पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेगा। उसके उपरान्त ही अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा।"

22.2 2022 के नियमों (23.05.2022 को तैयार) में वर्णित "सीईटी" की परिभाषा पर भरोसा करते हुए, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उक्त परीक्षा के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित करने वाला एकमात्र प्राधिकारी परीक्षा संचालन प्राधिकारी - बोर्ड होगा। सुविधा के लिए, 2022 के नियमों से संबंधित परिभाषा नीचे पुनः प्रस्तुत की गई है:

"2. परिभाषाएं - (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(ए) X X X X X X X

(ख) "सी.ई.टी" से अभिप्राय है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची(ओं) में उल्लिखित पद पर भर्ती के लिए परीक्षा में उपस्थित होने के लिए उम्मीदवार की पात्रता तय करने के लिए बोर्ड द्वारा आयोजित सामान्य पात्रता परीक्षा;"

22.3 इसके अलावा, 2022 के नियमों के नियम 6 (जिसका एक अधिभावी प्रभाव है) के अनुसार स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी हालत/परिस्थिति में न्यूनतम अंकों में छूट नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा, भर्ती एजेंसी का विवेक और राय कानून की स्थापित स्थिति के विपरीत होने तक अंतिम होगी। इस मामले में भर्ती एजेंसी ने सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के लिए 120 अंक, एससी/एसटी वर्ग के उम्मीदवार के लिए 108 अंक और टीएसपी क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए क्रमशः 90 अंक वर्गीकृत और निर्दिष्ट किए हैं। इस प्रकार, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उक्त वर्गीकरण शासी कानून के अनुपालन में है। सुविधा के लिए, 2022 के नियमों से संबंधित नियम नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

6. अधीनस्थ और अनुसचिवीय सेवाओं के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा:-

अनुसूची-/ और अनुसूची-// में उल्लिखित अधीनस्थ और अनुसचिवीय सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती को नियंत्रित करने वाले किसी भी नियम में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति अनुसूची-/ या अनुसूची-// में उल्लिखित पदों पर चयन के लिए आयोजित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने के लिए पात्र नहीं होगा, जैसा भी मामला हो, यदि वह सीईटी में ऐसे न्यूनतम अंक प्राप्त करने में विफल रहता है, जैसा कि भर्ती एजेंसी द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। न्यूनतम अंकों का निर्धारण करते समय, भर्ती एजेंसी इस बात पर विचार करेगी कि अनुसूची-/ या अनुसूची-// में उल्लिखित पद के लिए विज्ञापित रिक्तियों की कुल संख्या के पंद्रह गुना उम्मीदवार, जैसा भी मामला हो, विज्ञापित रिक्तियों के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगे, लेकिन उक्त श्रेणी में वे सभी उम्मीदवार जो समान अंक प्राप्त करते हैं, जैसा कि भर्ती एजेंसी द्वारा किसी भी निचली श्रेणी के लिए तय किया जा सकता है, उन्हें

अनुसूची-/ या अनुसूची-// में उल्लिखित पदों पर चयन के लिए आयोजित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में प्रवेश दिया जाएगा।

बशर्ते कि, यदि भर्ती एजेंसी की राय है कि अनुसूची-/ या अनुसूची-// में उल्लिखित पद पर भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने के लिए सामान्य मानक के आधार पर आरक्षित वर्ग से संबंधित पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, तो भर्ती एजेंसी द्वारा ऐसे आरक्षित वर्ग से संबंधित उम्मीदवारों को प्रवेश देने के लिए शिथिल मानक लागू किया जा सकता है ताकि उस श्रेणी के पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने के लिए उपलब्ध हों। इस प्रयोजन के लिए, रिक्तियों की कुल अनुमानित संख्या के पंद्रह गुना के विचार का क्षेत्र शिथिल माना जाएगा। हालांकि, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने के लिए अतिरिक्त रूप से योग्य उम्मीदवार केवल संबंधित श्रेणियों के लिए आरक्षित पदों पर चयन के लिए पात्र होंगे।

11. सामान्य पात्रता परीक्षा में प्रवेश.-

(1) X X X x x x x X

(2) X X X x x x x

(3) अनुसूची-/ या अनुसूची-// में उल्लिखित पदों पर भर्ती संबंधित सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। केवल सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीईटी) में उपस्थित होने और अंक प्राप्त करने से उम्मीदवार को नौकरी की गारंटी नहीं मिलेगी। उम्मीदवारों को भर्ती एजेंसी द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा और उत्तीर्ण होना होगा, साथ ही संबंधित सेवा नियमों में निर्धारित अन्य मानदंडों को भी पूरा करना होगा।

22.4 इसके साथ ही, 1989 के नियमों के नियम 23(ए)(3) के प्रावधानों पर विचार करते हुए, चूंकि परीक्षा जिलावार/यूनिटवार आयोजित की गई थी और अपेक्षा से कम आवेदन प्राप्त होने पर, प्रतिवादी-राज्य ने अपने नियंत्रण से परे कारणों से कुल रिक्तियों की संख्या के पंद्रह गुना से भी कम उम्मीदवारों को बुलाया था। इसके अलावा विज्ञापन की शर्तों की प्रयोज्यता विधिवत बनाई गई थी और इसे इस न्यायालय के समक्ष सारणीबद्ध चार्ट (ऊपर पुनः प्रस्तुत) के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। उक्त सारणीबद्ध जानकारी से यह ध्यान दिया जा सकता है कि सामान्य ईडब्ल्यूएस, ओबीसी- नॉन क्रीमी लेयर, एससी/एसटी की पहली श्रेणी (एनटीएसपी क्षेत्र) के लिए 2772 पदों के लिए 5,05,036 उम्मीदवारों ने आवेदन किया, जो रिक्तियों का 182 गुना है और पंद्रह गुना तक सीमित नहीं है। टीएसपी क्षेत्र के लिए 232 पदों के लिए 82,771 उम्मीदवारों ने आवेदन किया

22.5 इसके अलावा, राजस्थान राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों और बाधाओं को देखते हुए, यह देखा जा सकता है कि जैसलमेर जैसे विभिन्न जिलों के लिए रिक्तियों की संख्या अन्य जिलों से भिन्न है, इसके अलावा, उस विशेष जिले के लिए अपेक्षा से कम आवेदन प्राप्त हुए। इसलिए, उत्तरदाताओं ने योजना, पात्रता मानदंड और उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के अनुसार अधिकतम संख्या में उम्मीदवारों को बुलाया था।

22.6 इसके अलावा, चत्तर सिंह एवं अन्य (सुप्रा) में उल्लिखित कथन पर भरोसा किया जा सकता है।

“12. लोक सेवा आयोग के विद्वान वकील श्री बद्री दास शर्मा ने तर्क दिया कि नियम 13 का मुख्य भाग यह है कि लोक सेवा आयोग नियम 7 के अनुसार तृतीय अनुसूची के साथ पठित प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त कुल अंकों में से न्यूनतम कट ऑफ अंक

निर्धारित करेगा। उन उम्मीदवारों में से, जो आयोग द्वारा अपने विवेक से निर्धारित न्यूनतम अंक अंक प्राप्त करते हैं और पदों के 15 गुना उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। यदि अधिक उम्मीदवार समान कट ऑफ अंक प्राप्त करते हैं, तो सभी को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। यदि उम्मीदवार पदों के 15 गुना से अधिक हैं, तो केवल उतनी संख्या और न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को, चाहे वह 15 गुना से अधिक हो या नहीं, मुख्य परीक्षा लिखने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह व्याख्या नियम 13 के मुख्य भाग के अनुरूप है। परंतु का संचालन केवल उन मामलों में बढ़ाया जाना चाहिए जहां एससी और एसटी न्यूनतम श्रेणी में न्यूनतम कट-ऑफ अंकों का 5% प्राप्त करने के बाद भी न्यूनतम 15 गुना तक नहीं आते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने सामान्य अभ्यर्थियों की निम्नतम श्रेणी से 5% कम अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए बुलाया जाएगा। इस प्रकार लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार किया गया नियम नियम 13 की भावना और अक्षरशः के अनुरूप है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि यद्यपि ओबीसी को उक्त सेवाओं में चयन के लिए योग्य घोषित किया गया था और उनके लिए 21% रिक्तियां आरक्षित थीं, ओबीसी और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अलग-अलग वर्ग हैं। संविधान द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से अलग से निपटा गया है। अनुच्छेद 16(4) या 15(4) के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए संविधान के तहत सभी ओबीसी की पहचान नहीं की गई है; उनमें से, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त आयोग द्वारा पहचाना गया है और राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है और राजपत्र में ओबीसी के रूप में अधिसूचित किया गया है, उन्हें ही एक वर्ग माना जाता है, लेकिन उन्हें अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के साथ भ्रमित नहीं किया जा सकता है

20. सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और शारीरिक रूप से विकलांगों की अलग सूची तैयार करने के संबंध में,

इस तथ्य के मद्देनजर कि नवीनतम संशोधन ने नियम 13 में निहित बातों को स्पष्ट कर दिया है, हमारा मानना है कि सेवा आयोग द्वारा संबंधित श्रेणियों के उम्मीदवारों के संबंध में अलग-अलग सूचियां प्रकाशित की जानी आवश्यक है ताकि उम्मीदवारों की संख्या अधिसूचित या प्रत्याशित पदों/रिक्तियों से 15 गुना हो और वे मुख्य परीक्षा में बैठ सकें। यह सच है कि संशोधन लागू होने की संभावना है। हालांकि, यह मूल रूप से बनाए गए नियम 13 की दक्षता को कम नहीं करता है। उपरोक्त के मद्देनजर, लोक सेवा आयोग को उन सभी उम्मीदवारों को बुलाने का निर्देश दिया जाता है जो उपरोक्त कानून की घोषणा के अनुसार अधिसूचित या प्रत्याशित पदों/रिक्तियों से 15 गुना हैं ताकि वे मुख्य परीक्षा में बैठ सकें।

22.7 इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 2634/2013, जिसका शीर्षक तेज प्रकाश एवं अन्य बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय एवं अन्य तथा मंजूश्री बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य (2008) 3 एस.सी.सी 512 में रिपोर्ट किया गया है, में पारित निर्णय पर भरोसा किया जा सकता है; जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संबंधित परीक्षा/भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद खेल के नियमों को बदला नहीं जा सकता।

22.8 इसके अलावा, सपना जायसवाल (सुप्रा) में पारित आदेश के अवलोकन से यह नोट किया जाता है कि यह एक अंतरिम आदेश है और इसलिए इसे बाध्यकारी मिसाल के रूप में नहीं माना जा सकता है।

23. अतः, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उक्त भर्ती निष्पक्ष, पारदर्शी और उचित तरीके से आयोजित की गई थी, जिसमें 03.08.2023 के विज्ञापन में बताई गई शर्तों का विधिवत पालन किया गया था और राजस्थान राज्य के भौगोलिक और संरचनात्मक वारंटों का

विशेष ध्यान रखा गया था; कि रिक्तियों की उक्त संख्या यानी 3578 को जिलों और इकाइयों के आधार पर उप-वर्गीकृत और विभाजित किया गया था; कि प्राप्त आवेदनों की संख्या और उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त योग्यता के आधार पर प्रतिवादियों ने पात्र उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र जारी किए हैं; कि विज्ञापित पदों के पंद्रह गुना के बराबर उम्मीदवारों को याचिकाकर्ता संख्या 1 से 7 और 11 से 13 (एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 39/2024 में) की संबंधित श्रेणियों में पीएसटी/पीईटी के लिए बुलाया गया था, फिर भी, याचिकाकर्ता पीएसटी/पीईटी के लिए बुलाए जाने के लिए आवश्यक कट-ऑफ हासिल नहीं कर सके और इसलिए उन्हें नहीं बुलाया गया; कि तत्काल भर्ती प्रक्रिया में, न केवल पंद्रह गुना बल्कि एनटीएसपी क्षेत्र और टीएसपी क्षेत्र की श्रेणी के तहत 2772 और 232 पदों के लिए 505036 और 82771 उम्मीदवार उपस्थित हुए हैं, जो दर्शाता है कि 182 गुना और 356 गुना उम्मीदवार उपस्थित हुए हैं, यह उम्मीदवारों की बड़ी गुंजाइश, वास्तविक भागीदारी और विचार को दर्शाता है; कि 2022 के नियमों के नियम 6 की व्याख्या, विज्ञापन की शर्त संख्या 3(1) और 10 और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, प्रारंभिक स्तर पर संबंधित श्रेणियों के तहत उम्मीदवारों के पंद्रह गुना की गणना अंतर्निहित और अनुमेय है; कि प्रतिवादी-भर्ती एजेंसियों ने उक्त प्रावधानों का अनुपालन किया है और **चत्तर सिंह एवं अन्य** (सुप्रा) में निहित अनुपात का पालन किया है; केवल असाधारण जिलों और भूतपूर्व सैनिकों जैसी श्रेणियों में या जहां उम्मीदवारों ने अनुपातहीन तरीके से आवेदन किया है या न्यूनतम मानक अंक प्राप्त नहीं किए हैं, भर्ती एजेंसी ने न्यूनतम कट-ऑफ अंकों में ढील नहीं देने का फैसला किया है, यद्यपि 2022 के नियमों के नियम 6 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य किया है; **मंजूश्री (सुप्रा)** में प्रतिपादित मिसाल पर विचार करते हुए यह स्पष्ट है कि भर्ती शुरू होने के बाद खेल के नियमों को बदला नहीं जा सकता है, इसलिए, प्रतिवादियों के कार्य में कोई स्पष्ट त्रुटि निर्धारित नहीं की गई है।

24. उपर्युक्त परिस्थितियों के मद्देनजर, याचिकाओं का वर्तमान समूह किसी भी प्रकार के गुण-दोष से रहित होने के कारण खारिज किया जाता है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं। लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा किया जाएगा।

(समीर जैन),जे

प्रीति असोपा /एस-346-465

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra

Advocate